UPSI180017412024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट महमूदाबाद, सीतापुर।

फौजदारी वाद संख्या–1015/2024

सरकार बनाम सन्तोष आदि।

अपराध संख्या–69/2024

धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना–थानगाँव, जिला–सीतापुर।

आरोप

मैं, रंजीत कुमार जायसवाल, सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद सीतापुर आप अभियुक्त **सन्तोष** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ–

1. यह कि दिनांक–14.03.2024 को समय करीब 08 बजे, स्थान बहद ग्राम अशर्फी प्रधान पुरवा मजरा मानपुर इटिया, थाना–थानगाँव, जिला–सीतापुर के सीमान्तर्गत आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा उमेश को मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा–323 भारतीय दंड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादी मुकदमा को गन्दी–गन्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया जो **धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोप के सम्बन्ध में आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांकः–03.04.2025

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः–03.04.2025

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।

vijay/–

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2025.04.03 17:56:26 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (JD)/J.M. Mahmoodabad
Sitapur.